

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## —:: कार्यालय-आदेश ::—

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतमान) नियम-2008 के नियम 19 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतमान) नियम-2017(NO F.15(1) FD/RULES/2017 JAIPUR-DATED 30.10.2017 & 09.12.2017) के अनुसार निम्नांकित व्याख्याता स्कूल शिक्षा को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 7 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/लेखाधिकारी की अनुशंसा अनुसार उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 10 में अंकित तिथि से आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

| क्र. सं. | नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि        | जन्मतिथि   | व्याख्याता विषय | प्रथम नियुक्ति तिथि | व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार | स्वीकृत एसीपी सेवा अवधि | स्वीकृत वेतन बैंड/पे मैट्रिक्स | स्वीकृत ग्रेड वेतन/मैट्रिक्स लेवल | स्वीकृत तिथि |
|----------|--|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1        | 2  | 3          | 4               | 5                   | 6                              | 7                       | 8                              | 9                                 | 10           |
| 01.      | चांदमल बुनकर –<br>चिकारड़ा – डूंगला –<br>चित्तौड़गढ़   | 05.06.1969 | अर्थशास्त्र     | 16.02.90            | डीपीसी                         | 30 वर्ष                 | पे-मैट्रिक्स                   | PML-13                            | 16.02.2020   |
| 02.      | प्यारचन्द गवारिया –<br>बोरदा – गंगरार –<br>चित्तौड़गढ़ | 01.03.1965 | अर्थशास्त्र     | 16.02.90            | डीपीसी                         | 30 वर्ष                 | पे-मैट्रिक्स                   | PML-13                            | 16.02.2020   |
| 03.      | महेश चन्द्र शाह –<br>अस्थुना – बांसवाड़ा               | 06.09.1972 | भूगोल           | 23.03.99            | डीपीसी                         | 20 वर्ष                 | पे-मैट्रिक्स                   | PML-13                            | 23.03.2019   |

उक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावे। इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।

  
(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक - 17-09-2020

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/एसीपी/2018-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक /मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा .....
2. संबंधित जिला अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
3. संबंधित संस्था प्रधान राउमावि./राबाउमावि.....
4. संबंधित कार्मिक
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय-हाजा को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड पंजिका



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर